प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 20.11.2025

साइबर सेल थाना मसूरी पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 19,900/- रूपये की धनराशि वापस करायी गई।

आज दिनांक 20.11.2025 को साइबर सेल थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदिका के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल धनराशि 19,900/- रूपये को आवेदिका को वापस कराया गया ।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना मसूरी गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से आवेदिका के साथ 19,900/- रूपये की ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदिका के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 20.11.2025 को आवेदिका के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशी को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया। आवेदिका द्वारा थाना मसूरी पर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना मसूरी साइबर सेल टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 21.08.2024 को थाना मुरादनगर पर आवेदक श्री सचिन कुमार निवासी ग्राम सदरपुर जिला गाजियाबाद द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र जिसमें अभियुक्त रामकिशन पुत्र बेगराज के द्वारा वादी के साथ भूमि खाता सं0 00906 खसरा सं0 705 मि0 रकबई 0.6850 है0 का इकरानामा कर 48,80,000/- रुपये लेना जबकि अभियुक्त पूर्व में भी इस भूमि का इकरारनामा बी एन कपरवान के साथ भी कर चुका था। वादी को अपने साथ हुए छल के बारे में ज्ञात हुआ तो उपरोक्त भूमि ग्राम कनौजा में अभियुक्त गण 1.रामकिशन पुत्र बेगराज 2.दिपांशु पुत्र रामकिशन 3.तरूण पुत्र रामकिशन 4.नेहा पुत्री रामकिशन 5.तन्नू पुत्री रामकिशन 6.बबीता पत्नी रामकिशन समस्त निवासी गण ग्राम कनौजा थाना मुरादनगर गाजियाबाद के द्वारा वादी पर हमला कर जान के मारने की नियत से सरिया से वादी के सिर पर हमला करना जिससे वादी बेहोश हो जाने व जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर धारा

318(2), 192(2), 191(3), 131, 110, 351(3), 338, 336(3), 340(2) 61(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

आज दिनांक 19-11-2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रामकिशन पुत्र बेगराज निवासी ग्राम कनौजा थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष को थाना क्षेत्र मुरादनगर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि मैंने लालच वश वादी के साथ भूमि खाता सं0 00906 खसरा सं0 705 मि0 रकबई 0.6850 है0 का इकरानामा कर 48,80,000/- रुपये ले लिये थे, जबकि मैं पूर्व में भी इस भूमि का इकरारनामा बी एन कपरवान के साथ भी कर चुका था। वादी को अपने साथ हुए छल के बारे में ज्ञात हुआ तो उसने पैसे माँगे जिस पर मैंने व दिपांशु पुत्र रामकिशन, तरूण पुत्र रामकिशन, नेहा पुत्री रामकिशन, तन्नू पुत्री रामकिशन , बबीता पत्नी रामकिशन ने वादी पर हमला कर जान से मारने की नियत से सरिया से वादी के सिर पर हमला किया, जिससे वादी बेहोश हो गया व हमने उसे जान से मारने की धमकी भी दी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अभियुक्त रामकिशन पुत्र बेगराज निवासी ग्राम कनौजा थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 40 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।